क्रम-संख्या–199

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 सितम्बर, 2018
भाद्रपद 19, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

संख्या 1890 / 79-वि-1–18-1(क)-17-2018
लखनऊ, 10 सितम्बर, 2018

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे लोकतंत्र सेनानियों, जो इस रूप में घोषित किये गये थे तथा सम्मान राशि प्राप्त कर रहे थे और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अर्थात् दिनांक 22 मार्च, 2016 के पूर्व जिनकी मृत्यु हो गयी थी, की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को इस उपधारा के अधीन सम्मान राशि और सुविधाएं, इस अधिनियम के अधीन, मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को उनके इस प्रयोजनार्थ किये गये आवेदन को स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रदान की जायेंगी।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016), ऐसे लोकतंत्र सेनानियों, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977) के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिये वास्तव में संघर्ष किया था और जो ऐसे कार्यकलापों में भाग लेने के लिये मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरुद्ध किये गये थे, को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि किसी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में यथास्थिति लोकतंत्र सेनानी की पत्नी या पति, सम्मान राशि और ऐसी सुविधायें प्राप्त करेंगे। ऐसे लोकतंत्र सेनानियों, जो इस रूप में घोषित किये गये थे तथा सम्मान राशि प्राप्त कर रहे थे और जिनकी उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो गयी थी, की उत्तराधिकारी पत्नी या पति उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन उपबंधित सम्मान राशि और सुविधायें, उन लोकतंत्र सेनानियों, जिनकी उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो गयी थी, की पत्नी या पति को भी उनके उक्त प्रयोजनार्थ किये गये आवेदन को स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रदान करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1890 (2)/LXXIX-V-1–18-1(ka)-17-2018

Dated Lucknow, September 10, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Loktantra Senani Samman (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 36 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2018.

THE UTTAR PRADESH FIGHTERS OF DEMOCRACY HONOUR (AMENDMENT) ACT, 2018

(U.P. Act No. 36 of 2018)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour (Amendment) Act, 2018.

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 9 of 2016

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :-

"Provided that those Fighters of Democracy who were declared as such and getting honour money and died before the commencement of this Act *i.e.*, March 22, 2016, the successor wife or husband thereof, as the case may be, shall be given honour money and facilities under this sub-section with effect from the sanction of their application made for this purpose as sanctioned to the successor wife or husband as the case may be, of the deceased Fighter of Democracy under this Act."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016 (U.P. Act no. 9 of 2016) has been enacted to provide for Honour Money, free transport facility and free medical facility to fighters of democracy who actually fought to protect the democracy during emergency period (June 25, 1975 to March 21, 1977) and who were detained in jail under MISA/DIR for participating in such activities. Section 6 of the said Act *inter alia* provides that in the event of the death of a fighter of democracy, the wife or husband of the fighters of democracy, as the case may be, shall get the Honour money and such facilities. The fighters of democracy who were declaired as such and getting Honour money and died berore the commencement of the said Act, the successor wife or husband thereof are not entitled to get the facilities under section 6 of the said Act. It has been decided to amend the said Act to give Honour money and facilities provided under section 6 of the said Act to the wife or husband of those fighters of democracy also who died before the commencement of the said Act from the date of sanction of their application made for the said purpose.

The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour (Amendment) Bill, 2018 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 249 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(675)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 86 सा० विधायी–2018–(676)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)